निगरानी / टी.ए. / 2553 / 2005 / सवाईमाधोपुर

गंगाधर बनाम बदरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री सूरज भान जैमन, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत अभिभाषक प्रार्थी। (2) श्री अशोक अग्रवाल अधिवक्ता अप्रार्थी (3) श्री अजीत लोढा अधिवक्ता सं0 1 / 1,1 / 2 **आदेश** **दिनांकः 11–7–2018** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 उपखण्ड अधिकारी गंगापुरसिंटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–5–2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी के सक्षिप्त तथ्यों अनुसार वादीगण / अप्रार्थीगण संख्या 1से3 की ओरसे एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुरसिटी के समक्ष खातेदारी घोषणा हेतु पेश किया।दावा का जबावदावा हाल प्रार्थी ने पेश कर वादके कथनों को अस्वीकार किया। दावा के विचाराधीन प्रतिवादी संख्या 6 गिर्राज का स्वर्गवास दिनांक 25–2–01 को हो गया। वादीगण ने गिर्राज के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु एक प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4सीपीसी के तहत दिनांक 11–2–05 को पेश किया जिसमें प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थनापत्र का जबाव पेश करते हुए प्रार्थनापत्र खारिज करने का साथ ही निवेदन किया कि दावा गिर्राज के स्वर्गवास होने के 90 दिनके अन्दर प्रार्थनापत्र पेश नही किये जाने के कारण अबेट हो चुका है एवं अबेटमेंट सैटसाइड कराने हेतु भी वादी की ओर से 150 दिन में कोई प्रार्थनापत्र पेश नही किया है। अतः वाद अबैट हो चुका है,वाद अबेट होने से दावा खारिज किया जावे। विद्वान उपजिला कलक्टर गंगापुरसिटी ने अपने आदेश दिनांक 15–4–05 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए गिर्राज के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश पारित कर दिया। उप जिला कलक्टर गंगापुरसिटी के आदेश दिनांक 15–4–05 से व्यथित होकर हस्तगत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3— विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की निगरानी बहस सुनी गयी । 4— दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादीगण / अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जो कि मृतक गिर्राज के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु पेश किया गया था वह संधारण योग्य नही था। स्वयं वादीगण ने यह माना है कि गिर्राज की मृत्यु दिनांक 22—2—01 को हो चुकी थी एवं जबकि प्रार्थनापत्र दिनांक 11—1—05 को पेश किया जिसके साथ न तो शपथ पत्र ही पेश किया व न ही धारा 5 मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थनापत्र पेश किया। चूकि दावा अबेट हो चुका था तो वादीगण को अबेटमेंट को निरस्त कराने की कार्यवाही करनी चाहिए थी। उपखण्ड अधिकारी ने निगरानीधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क है कि उप जिला कलक्टर को यह आवश्यक था कि वह गिर्राज के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने से पूर्व गिर्राज के वारिसान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी करते लेकिन ऐसा नही करं वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को परीक्षण न्यायालय ने स्वीकार करने में अहम कानूनी त्रुटि की है। विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने अपने नोन स्पीकिंग, अस्पष्ट व पर्याप्त करारण नही देते हुए प्रार्थीनापत्र स्वीकार किया है जो कानून सम्मत नही है। अन्त में निगरानी स्वीकार कर निगरानीधीन आदेश दिनांक 15—4—2005 को निरस्त करने एवं वादी / अप्रार्थी संख्या 1से 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4सीपीसी को खारिज करने का निवेदन किया। 5— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थी की ओरसे की गयी बहस का विरोध किया और बताया कि निगरानी आदेश आदेश उचित व कानून सम्मत है। निगरानीधीन आदेश कोस्ट पर स्वीकार किया गया है। अन्त में निगरानी खारिज करने का निवेदन किया गया। 6— उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में दावा के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 6 गिर्राज का स्वर्गवास दिनांक 25—5—2001 को हो गया।	

निगरानी / टी.ए. / 2553 / 2005 / सवाईमाधोपुर

गंगाधर बनाम बदरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादीगण / अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जो कि मृतक गिर्राज के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु दिनांक 11–1–2005 को पेश किया गया था। इस प्रार्थनापत्र पर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने अपने नोन स्पीकिंग, अस्पष्ट व पर्याप्त कारण नही देते हुए प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने में त्रुटि की है क्योकि वादीगण को प्रतिवादी गिर्राज की मृत्यु की जानकारी काफी समय पूर्व से ही थी क्योकि सिविल कोर्ट में चला दावा संख्या 183 / 99 शीर्षक हीरालाल बनाम बद्री सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गंगापुरसिटी निर्णय दिनांक 18–2–2003 में वादीगण व ब्रदी, श्योचन्द, गिर्राज प्रतिवादीगण थे एवं गिर्राज के वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही भी की गयी है। अतः सिविल कोर्ट से पत्रावली उपखण्ड अधिकारी को वापिस आने से दिनांक 6–8–04 को नम्बर पर लिये जाते वक्त कार्यवाही की जानी चाहिए थी बल्कि उसके भी काफी समय बाद दिनांक 11–1–2005 को प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जो कि मियाद बाहर है एवं आदेश 22 नियम 9 सीपीसी का प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नही किया गया। अतः दावा अबेट हो चुका था । यह भी महत्वपूर्ण बिन्दु है चूँकि मृतक गिर्राज के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही नही की और अबेट हुए दावा का अबैटमेंट निरस्त कराने हेतु प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 9 सीपीसी भी पेश नही किया गया जबकि दावा अबेट हो चुका था। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–4–2005 गैर कानूनी होने से निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। 7– परिणामस्वरुप यह निगरानी स्वीकार कर उपजिला कलक्टर गंगापुरसिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–4–2005 निरस्त किया जा कर वादीगण / अप्रार्थी संख्या 1से 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4सीपीसी को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सूरज भान जैमन)** **सदस्य**	